


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

आदालत  
की तादीत


06.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली  
का अवलोकन करने पर पाया कि विगत 07  
माह के समय चलीत होने के उपरांत भी आदिजांक  
तक मोटिश पेश नहीं किए गए हैं। जो कि पर्याप्त  
अवसर दिए जा चुके हैं। न्यायद्वित में एक अन्तिम  
अवसर दिया जाता है, आगे अवसर देय नहीं होगा।  
पत्रावली वास्ते - तलबी दिनांक 08.09.2022 को  
पेश हो।

  
उप जज अतिशियल्य  
जजोतर (बदले)

08.9.22

प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली विगत  
07 माह के भी हाथीक रूप से तलबी  
में विचारधीन चल रही है और प्रार्थी  
द्वारा दिए जाने के उपरांत भी आदिजांक  
तक मोटिश पेश नहीं किए जा रहे हैं।  
लेखी होत गत गरीब तरीक के भी -  
अन्तिम अवसर दिया था, लेकिन  
मोटिश पेश नहीं किए जा रहे हैं।  
लेखी खरत में कपे होत अवसर  
दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता  
है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन - पत्र  
मोटिश पेश नहीं किए जाने के कारण  
इसी लेख पर रजारीक रिज। जाता है।  
पत्रावली का अनुपस्थित होकर  
कार्रवाई कराने के।

  
उप जज अतिशियल्य  
जजोतर (बदले)

